बैंक ड्राफ्ट का विवरण

"अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ" के नाम बैंक ड्राफ्ट बनवायें।

किराये की धनराशि

क्र0सं0	मिलेनियम क्लब	किराये की धनराशि सिक्यूरिटी सहित (रू0)	रिफेन्डेबुल सिक्यूरिटी धनराशि (रू0)
1	भू–तल	51,600.00	6000.00
2	प्रथम तल	44,900.00	5000.00

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
२.मियंत्रण अनुभाग,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: / जी–4 /

कार्यालय आदेश

आवास आयुक्त(म0) के आदेशान्तर्गत परिषद की वृन्दावन यो0स0–2, भाग–1, लखनऊ **मिलेनियम क्लब ए भूतल** के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. मिलेनियम क्लब का रखरखाव अग्रेतर आदेश तक परिषद द्वारा किया जायेगा।
2. मिलेनियम क्लब का रखरखाव व आरक्षण की कार्यवाही संबंधित खण्ड निर्माण खण्ड–11, लखनऊ के द्वारा की जायेगी।

क0सं0	मिलेनियम क्लब के स्थान का विवरण	प्रस्तावित किराया रू0 में
ए.	भू–तल	
1.	दो हाल	30,000.00
2.	डारमेंट्री 2 नग	5,000.00
3.	ओपेन फील्ड	5,000.00
	योग	40,000.00
	किराये की धनराशि पर प्रचलित दर से सर्विस टैक्स लिया जायेगा। वर्तमान में 14.00 प्रतिशत सर्विस टैक्स लिया जा रहा है।	**5600.00**
	रिफण्डेबिल जमानत धनराशि	6,000.00
	कुल योग	**51600.00**
बी.	प्रथम तल	
1.	दो हाल	30,000.00
2.	डारमेंट्री दो नग	5,000.00
	योग	35,000.00
	किराये की धनराशि पर प्रचलित दर से सर्विस टैक्स लिया जायेगा। वर्तमान मे 14.00 प्रतिशत सर्विस टैक्स लिया जा रहा है।	**4900.00**
	रिफण्डेबिल धनराशि	5,000.00
	कुल योग	**44900.00**

1. मिलेनियम क्लब का आवंटन सामान्यतः 2 दिन से अधिक नहीं किया जायेगा।
2. मिलेनियम क्लब के आवंटन में परिषद अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. समारोह / कार्यक्रम हेतु यदि पण्डाल इत्यादि परिसर में खुले स्थान पर लगाये जाते हैं और उसमें तथा मिलेनियम क्लब के भवन पर यदि बिजली की सजावट इत्यादि की जाती है तो उस हेतु बिजली का संयोजन आवंटियों द्वारा स्वयं अपने व्यय पर विद्युत विभाग से लेना होगा। समारोह / कार्यक्रम के दौरान टूट–फूट / चोरी आदि के लिए जमानत के रूप में रू0 6,000.00 अलग से जमा करना होगा। टूट–फूट व हानि न होने की दशा में जमानत की यह धनराशि वापस कर दी जायेगी।
4. मिलेनियम क्लब का आवंटन परिषद अधिकारियों / कर्मचारियों को स्वय के पुत्र / पुत्री की शादी के लिए 50 प्रतिशत की दर से किया जायेगा।
5. मिलेनियम क्लब का आवंटन प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।
6. मिलेनियम क्लब में परिषद द्वारा किसी प्रकार के फर्नीचर / बर्तन आदि की व्यवस्था नहीं की जायेगी।
7. मिलेनियम क्लब के टैरेस का उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।
8. परिवर्तन / निरस्तीकरण की कार्यवाही निम्नवत् की जायेगी।

क0सं0	तिथि परिवर्तन/निरस्तीकरण समयावधि	तिथिपरिवर्तन/निरस्तीकरण शुल्क
1.	समारोह की तिथि से 90 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण करने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का	10 प्रतिशत
2.	समारोह की तिथि 89 से 60 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण करने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का	20 प्रतिशत
3.	समारोह की तिथि 59 से 30 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण करने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का	30 प्रतिशत
4.	समारोह की तिथि 29 से 15 से परिवर्तन/निरस्तीकरण करने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का	40 प्रतिशत
5.	समारोह की तिथि से 14 दिवस पूर्व परिवर्तन/निरस्तीकरण करने हेतु आवेदन देने पर किराये की धनराशि का	50 प्रतिशत

नोटः— 1. तिथि परिवर्तन/निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्प्लेक्स, वृन्दावन, लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त कराये जाने पर ही मान्य होगा।

2. परिवर्तन कराये जाने पर वॉछित तिथि को स्थान खाली होने पर ही परिवर्तन किया जायेगा।

9. किराया व जमानत सम्बन्धित की धनराशि "अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–11, "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ" के नाम देय एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जायेगी।
10. मिलेनियम क्लब के रिक्त होने की दशा में केवल एक बार विना किसी अतिरिक्त शुल्क के तिथि परिवर्तन मान्य हो सकता है।
11. समारोह के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। रात्रि दस बजे के बाद म्यूजिक/ बैण्ड इत्यादि बन्द करना आवश्यक होगा।
12. प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर आरक्षण किसी भी तिथि हेतु कराया जा सकता है शर्त यह होगी कि आरक्षित तिथि से पूर्व यदि किरायें/सर्विस टैक्स में बढोत्तरी होती है तो आवंटी को पूर्व में जमा किराये/सर्विस टैक्स की धनराशि बढे हुए किराये/सर्विस टैक्स की धनराशि का अन्तर जमा करना होगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल से प्रभावी होंगे।

(रूद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

पृ0सं0: 3183 /उक्त/ दिनांकः 11·X·2012

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आवास आयुक्त(म0) के निजी सचिव।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियंता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
5. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा में,

प्रबन्धक
मिलेनियम क्लब
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
सेक्टर–2सी, वृन्दावन योजना संख्या–2,
भाग–1 लखनऊ।
दूरभाष : 2443510

आवंटन पत्र संख्या   दिनांक.............

Entered in Register No.   Page No.

Rent	Rs.
Service Tax	Rs.
Elec. Charges	Rs.
Security	Rs.
TOTAL	Rs.

महोदय,

मुझे अपने/अपनी....................................की शादी हेतु वृन्दावन योजना संख्या–2, भाग–1, लखनऊ के सेक्टर–2सी में स्थित मिलेनियम क्लब में दिनांक............................को निम्न स्थानो की आवश्यक्ता है :–

1. भूतल
   अ– हॉल
   ब– डारमेटरी (एक नग)
   स– ओपेन फील्ड

2. प्रथम तल
   अ– हॉल
   ब– डारमेटरी (दो नग)

मै ड्राफ्ट संख्या/पे–आर्डर संख्या..................................बैंक.. दिनांक...........................रू0..............................किराये की धनराशि रू0.....................सर्विस टैक्स रू0........................ जमानत की धनराशि तथा रू0.................................इलेक्ट्रिक चार्जेज है, जमा कर रहा हूँ। आरक्षण सम्बन्धी परिषद के समस्त नियम व शर्ते मान्य है, जिन्हे मैने पढ़ लिया है। जमानत धनराशि की वापसी हेतु मेरा बैंक खाता संख्या............................तथा बैंक..है। कृपया उक्त स्थान आवंटन करने का कष्ट करें।

दिनांक :– ....

भवदीय

नाम :– ....
पता :– ....
दूरभाष :– ....

हस्ताक्षर

मिलेनियम क्लब, सेक्टर–2सी, वृन्दावन योजना, लखनऊ के आरक्षण हेतु नियम व शर्ते

1. आरक्षण प्रथम आगत स्वागत के आधार पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने वाले के पक्ष में किया जायेगा।
2. आरक्षण हो जाने के बाद आरक्षण की तिथि में परिवर्तन एक बार वाँछित तिथि उपलब्ध होने पर बिना किसी परिवर्तन शुल्क के किया जायेगा।
3. आरक्षण हो जाने के बाद आरक्षण निरस्त नही किया जायेगा, उस तिथि पर आरक्षण किसी अन्य के द्वारा करा लिये जाने पर जमानत की धनराशि जब्त करते हुये शेष धनराशि वापस की जायेगी। आरक्षण न होने की स्थिति में जमानत की धनराशि वापस करते हुये शेष धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. वर्तमान दरें दिनांक आवेदन पत्र जारी करने की तिथि तक वैध है, इसके बाद दरो मे जो संशोधन होगा आवेदक को मान्य होगा।
5. किराये की धनराशी पर नियमानुसार सर्विस चार्जेज अतिरिक्त देय होगा।
6. केवल शादी ब्याह या अन्य बड़े आयोजनो हेतु जमानत की धनराशि रू0 5000.00 से रू0 10000.00 तक आवश्यक्तानुसार आरक्षण शुल्क के अतिरिकत जमा करना होगा।
7. समारोह हेतु खाना बनाना केवल खाना बनाने हेतु नियत स्थान पर ही अनुमन्य होगा।
8. आरक्षण की अवधि प्रातः 10:00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 10:00 बजे तक रहेगी।
9. मिलेनियम क्लब के परिसर में मादक पदार्थों एवं एवं आग्नेय अस्त्र इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
10. शादी, विवाह एवं अन्य आयोजनो के लिये बिजली सजावट/शामियाना फर्नीचर आदि की व्यवस्था आवंटी को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
11. आवंटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि विस्तारक यन्त्र की आवाज इस सीमा तक रहे कि कालोनी के निवासियो को इससे कष्ट न हो इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
12. ओपेन फील्ड व हॉल के लिये आवश्यकतानुसार जनरेटर की व्यवस्था आवंटी को स्वयं के व्यय पर करना होगा।
13. आरक्षण शुल्क तथा जमानत धनराशि एक साथ बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर के रूप में स्वीकार होगी। जो आरक्षण के समय देय होगी।
14. समारोह में बारात के साथ बैंड आदि का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे के बाद वर्जित है।
15. समारोह में आर्केस्टा, शहनाई आदि की व्यवस्था पूर्णतः वर्जित है।
16. परिसर में समारोह हेतु आवंटी द्वारा लायी गयी सामग्रियो की सुरक्षा का दायित्व स्वयं आवंटी का होगा।

प्रबन्धक